

## Central Goods & Services Tax Rules, 2017

### Rule 21 : Registration to be cancelled in certain cases

The registration granted to a person is liable to be cancelled, if the said person,—

- (a) does not conduct any business from the declared place of business; or
- <sup>1</sup>[(b) issues invoice or bill without supply of goods or services <sup>2</sup>[or both] in violation of the provisions of the Act, or the rules made thereunder; or
- (c) violates the provisions of section 171 of the Act or the rules made thereunder.]
- <sup>3</sup>[(d) violates the provision of rule 10A;]
- <sup>4</sup>[(e) avails input tax credit in violation of the provisions of section 16 of the Act or the rules made thereunder; or
- (f) furnishes the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** under section 37 for one or more tax periods which is in excess of the outward supplies declared by him in his valid return under section 39 for the said tax periods; or
- (g) violates the provision of rule 86B.]
- <sup>5</sup>[(h) being a registered person required to file return under sub-section (1) of section 39 for each month or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of six months;
- (i) being a registered person required to file return under proviso to sub-section (1) of section 39 for each quarter or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of two tax periods.]

---

<sup>1</sup> Clause (b) and (c) substituted for existing clause (b) by Noti. No. 07/2017-Central Tax, dt. 27-06-2017 w.e.f. 22-06-2017.

<sup>2</sup> Inserted by Noti. No. 94/2020-Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.

<sup>3</sup> Clause (d) inserted by Noti. No. 31/2019-Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

<sup>4</sup> Clause (e), (f) and (g) inserted by Noti. No. 94/2020-Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.

<sup>5</sup> Clause (h) and (i) inserted by Noti. No. 19/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022.

**नियम 21 : कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना**

किसी व्यक्ति को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण का रद्द किए जाने के लिए दायी होगा, यदि उक्त व्यक्ति—

- (क) कारबार के घोषित स्थान से किसी कारबार का संचालन नहीं करता ; या
- <sup>1</sup>[(ख) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में माल या सेवाओं <sup>2</sup>[या दोनों] की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है; या
- (ग) अधिनियम की धारा 171 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अतिक्रमण करता है]
- <sup>3</sup>[(घ) नियम 10क के उपबंधों का उल्लंघन करता है।]
- <sup>4</sup>[(ड.) धारा 16 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में इनपुट कर का प्रत्यय का लाभ प्राप्त करता है; या
- (च) धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में एक या एक से अधिक कर अवधि के लिए प्रयुक्त किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे उसके द्वारा संबंधित कर अवधियों के लिए धारा 39 के अधीन प्रस्तुत की गई वैध विवरणी में घोषित किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे से अधिक है; या
- (छ) नियम 86ख के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।]
- <sup>5</sup>[(ज) पंजीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये धारा 39 की उपधारा (1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है और लगातार छः महीने की अवधि के लिये रिटर्न प्रस्तुत नहीं की है।
- (झ) पंजीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिये धारा 39 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है और दो कर अवधि के निरंतर समय के लिये रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है।]

- 
- 1 अधिसूचना क्रमांक 7/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.06.2017 द्वारा खंड (ख) और खंड (ग) वर्तमान खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।
  - 2 अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।
  - 3 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा खंड (घ) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।
  - 4 अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा खंड (ड.), (च) और (छ) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।
  - 5 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीयकर दिनांक 28.09.2022 द्वारा खण्ड (ज) एवं (झ) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।